न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या–341 / 2021–22

आदेश सं0 एवं तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
29.11.21	आवेदक श्री बीरन उरांव पिता स्व0 हरि उरांव साकिन जुरिया सोबरन टोली, थाना एवं ज़िला–लोहरदगा के द्वारा सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा **जुरिया** के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय।	

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में
जुरिया	लोहरदगा	197	151 / 229	459 / 501	0.02
				460 / 500	0.05
				कुल	**0.07**

जमीन विक्रेता की विवरणी

नाम	:–	श्री बीरन उरांव
पिता / पति का नाम	:–	स्व0 हरि उरांव
पता	:–	जुरिया सोबरन टोली
थाना	:–	लोहरदगा
जिला	:–	लोहरदगा
पहचान संख्या	:–	आधार न0 – **502471618493**

जमीन क्रेता की विवरणी

नाम	:–	श्रीमती अनीता उरांव उर्फ कुमारी
पिता / पति का नाम	:–	रामधनी उरांव
पता	:–	आदर्श नगर जुरिया
थाना	:–	लोहरदगा
जिला	:–	लोहरदगा
पहचान संख्या	:–	आधार न0 – **732052867934**

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा **जुरिया** के नाम आम ईश्तिहार नोटिस जारी किया गया कि उक्त जमीन **श्रीमती अनीता उरांव उर्फ कुमारी पति रामधनी उरांव, साकिन आदर्श नगर जुरिया, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ बिकी करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

29/11/21

अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** ने अपने पत्रांक–**1506** दिनांक **18.11.2021** द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पास **2.11** ए0 जमीन है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में **2.03** ए0 जमीन बचता है। आवेदक निजी कार्य एवं मकान बनाने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत पोता है। सरकारी रसीद मोरा उरांव वो देवराम उरांव के नाम से कटती है। जमीन का श्रेणी टांड़ ।। है।

विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवेदन के साथ समर्पित निवास प्रमाण–पत्र संख्या क्रमशः **JHRC/2018/537608 दिनांक–09.07.2018** बीरन उरांव पिता स्व0 हरि उरांव, ग्राम–सोबरन टोली जुरिया, थाना एवं जिला–लोहरदगा, **JHRC/2018/1372589 दिनांक–09.08.2018** अनीता उरांव पति रामधनी उरांव, ग्राम आदर्श नगर जुरिया, थाना एवं जिला–लोहरदगा का निर्गत है। जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के मानदण्ड के अनुसार एक ही थाना एवं जिला–**लोहरदगा** के निवासी होने की पुष्टि करता है।

इस क्रम में आवेदक का भी ब्यान लिया गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा **जुरिया** के अन्तर्गत **खाता नं0 151/229 प्लॉट नं0 459/501 रकबा 0.02 ए0 एवं प्लॉट नं0 460/500** रकबा **0.05 ए0 कुल रकबा 0.07 ए0** जमीन को **श्रीमती अनीता उरांव उर्फ कुमारी पति रामधनी उरांव, साकिन आदर्श नगर जुरिया, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ जमीन बिकी कर रहे है। जमीन आवेदक के दखल कब्जा में है। जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा **जुरिया** के अन्तर्गत **खाता नं0 151/229 प्लॉट नं0 459/501 रकबा 0.02 ए0 एवं प्लॉट नं0 460/500 रकबा 0.05 ए0 कुल रकबा 0.07 ए0** जमीन को **श्रीमती अनीता उरांव उर्फ कुमारी पति रामधनी उरांव, साकिन आदर्श नगर जुरिया, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अर्न्तगत उनके निजी दायित्व पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
लोहरदगा।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
लोहरदगा।

Petition No.:-362 dated:-6/12/21 शुल्क :–
Date of Application :-6.12.21 दर :–5 X 1 = 5.00
कोर्ट फी :–10 X 2 = 20.00
Record Recived on 6.12.21 कुल :–25.00
Copy Prepared on :-9.12.21 शब्दों में (पचीस की मात्र)
Copy delivered on :-9/12/21

सच्ची प्रति
9.12.2021
कार्यपालक दण्डाधिकारी
लोहरदगा

प्रधान सहायक,
अनुमण्डल कार्यालय, लोहरदगा